तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/2006/6270/धौलयपुर** **बुद्द सिंह बनाम जयनयारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

02.8.24

उपस्थित
श्री दुनीचंद डिढारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

आदेश

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दुनीचन्द डिढारिया ने निवेदन किया कि उन्होंने विचारण न्यायालय में धारा 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ पेश नहीं किया था। अतः इन्हीं तथ्यों पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नवीन प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वतंत्रा देते हुये इस पुनरीक्षण याचिका के विड्रॉ की अनुमति दी जावे। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री राजेश गौतम ने इसका विरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दुष्टिगत रखते हुये प्रार्थी को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के समक्ष इन्हीं तथ्यों एवं संपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वतंत्रा देते हुये यह पुनरीक्षण याचिका विड्रॉ करने की अनुमति दी जाती है। यह पुनरीक्षण याचिका जरिये विड्रॉ खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य